न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 154/2016
वाद पत्र –आर0टी0ए0 धारा 88 व 136 एलआरएक्ट

ग्राम पंचायत कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोशीथल — वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा। — प्रतिवादी

अधिवक्ता वादीः– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
प्रतिवादीः– सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 व 136 एल आर एक्ट

दिनांक 16.12.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के अन्दर हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आबादी साबिक आराजी संख्या 737/1/1 ख रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित है और साबिक नक्शे में भी फिट है। यह कि ग्राम पंचायत आबादी पर ग्राम पंचायत कोशीथल का अधिकार है। इस साबिक आराजी संख्या 737/1/1ख रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के बंदोबस्त के बाद नवीन नम्बर 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 गै0मु0 आबादी कायम हुए। साबिक आराजी रकबे व नवीन रकबे में कोई अन्तर नहीं है लेकिन नवीन नक्शे में नवीन आराजी संख्या 1178/6810 को 1179/6809 की जगह दर्ज नहीं किया जाकर अन्य स्थान पर दर्ज किया गया हैं जो गलत है।

यह कि ग्राम पंचायत कोशीथल का कब्जा भी पूर्ववत साबिक आराजी संख्या 737/1/1ख की जगह पर ही है लेकिन उसे गलत जगह फीट कर दिया है इसलिए या तो नक्शे में आराजी संख्या 1178/6810 को 1168/6809 की जगह फीट किया जावे या आराजी संख्या 1178/6809 को ग्राम पंचायत के नाम आबादी दर्ज की जावे व आराजी संख्या 1178/6810 को बिलानाम सरकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

यह कि साबिक नक्शे के अनुरूप नक्शे को तरमीम करने से राज्य सरकार को कोई नुकशान नहीं हो रहा है क्योंकि रकबा भी बराबर है। वादग्रस्त भूमि तहसील सहाड़ा में होकर आबादी की है लेकिन उसका राजस्व रेकार्ड में अंकन होने एवं वादग्रस्त नक्शा भी रवेन्यु रेकार्ड का अंग होने से उसमें तरमीम किया जाना है इसलिए उक्त वाद पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[गंगा]पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र में रिलीफ चाही है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस
आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वर्तमान आराजी संख्या 1178/6810
रकबा 0.81 हेक्टेयर गै0 मु0 आबादी को साबिक आराजी संख्या 737/1/1ख के
अनुसार हाल आराजी संख्या 1178/6809 रकबा 0.81 हेक्टेयर को बिलानाम की
जगह आबादी ग्राम पंचायत कोशीथल के नाम दर्ज की जावे तथा हाल आराजी नं0
1178/6810 रकबा 0.81 हेक्टेयर को किस्म आबादी से बिलानाम दर्ज की जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.09.2016 को
पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी की और से
वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद प्रकरण में साबिक खसरा
संख्या 737/1/1ख रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बिलानाम आबादी दर्ज हुई है
साबिक नक्शा ट्रेस व नवीन नक्शा ट्रेस के मुकाबले मौके पर जांच कमीशनर
रिपोर्ट से ही बिलानाम आबादी की कार्यवाही हो सकती है ग्राम पंचायत कोशीथल
के नाम दर्ज नहीं हो सकती है।

कमीशनर रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुसार ग्राम कोशीथल के हाल रकबा
नं0 1178/6809 रकबा 0.81 हे0 बिलानाम एवं 1178/6810 रकबा 0.81 गे0मु0
आबादी दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान की किस्म भूमि भू–प्रबंध विभाग
ने साबिक राजस्व रेकार्ड से दर्ज नहीं की जाकर एक दूसरे के विपरीत दर्ज कर
दी है। हाल खसरा नं0 1178/6809 रकबा 0.81 हे0 के साबिक खसरा नं0
737/1/1ख रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा की किस्म भूमि गेमु आबादी एवं हाल
खसरा नं0 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 के साबिक खसरा नं0 737/1/1क
रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा की किस्म भूमि बीड़ बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी।

साबिक राजस्व रेकार्ड अनुसार हाल खसरा नं0 1178/6809 रकबा 0.81
की किस्म भूमि गे0मु0 आबादी एवं हाल खसरा नं0 1178/6810 रकबा 0.81 की
किस्म भूमि बीड़ बिलानाम का दर्ज किया जाना सही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि दौराने बंदोबस्त वादी की साबिक आराजी संख्या 737/1/1ख रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमी का नक्शा नवीन को गलत फिट करते हुए परिवर्तित कर दिया जिससे नवीन आ0सं0 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 को आबादी के बजाए बिलानाम दर्ज करने व 1178/6809 रकबा 0.81 हे0 को बिलानाम से वादी के नाम गे0मु0 आबादी दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किये जाने के वादी अधिकारी है।

वर वक्त सुनवाई वादी उपस्थित। प्रतिवादी की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने वक्त बहस वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब को दोहराया तथा वाद पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया हैं।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के अन्दर हल्का आबादी में दौराने बंदोबस्त वादी की साबिक आराजी संख्या 737/1/1ख रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमी का नक्शा नवीन को गलत फिट करते हुए परिवर्तित कर दिया जिससे नवीन आ0सं0 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 को आबादी के बजाए बिलानाम दर्ज करने व

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

1178/6809 रकबा 0.81 हे0 को बिलानाम से वादी के नाम गे0मु0 आवादी दर्ज करने एवं गत नक्शे अनुसार हाल नक्शे में तरमीम की घोषणात्मक डिकी जारी किये जाने के वादी अधिकारी है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार सहाड़ा के जवाव अनुसार कमीशनर रिपोर्ट में साबिक राजस्व रेकार्ड अनुसार हाल खसरा नं0 1178/6809 रकवा 0.81 की किस्म भूमि गे0मु0 आवादी एवं हाल खसरा नं0 1178/6810 रकवा 0.81 की किस्म भूमि बीड़ बिलानाम का दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। प्रकरण में तनकीवार निर्णय किया जाता है अतः प्रकरण में निम्न तनकियात कायमी का निष्कर्षतः निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. आया कि दौराने बंदोबस्त वादी की साविक आराजी संख्या 737/1/1ख रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमी का नक्शा नवीन को गलत फिट करते हुए परिवर्तित कर दिया जिससे नवीन आ0सं0 1178/6810 रकवा 0.81 हे0 को आबादी के बजाए बिलानाम दर्ज करने व 1178/6809 रकवा 0.81 हे0 को बिलानाम से वादी के नाम गे0मु0 आवादी दर्ज करने की घोषणात्मक डिकी जारी किये जाने के वादी अधिकारी है।

– बजिफेवादी

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर निहीत किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के सांथ प्रस्तुत जमावन्दी संख्या 2071 से 2074 तक के अनुसार नवीन आ0सं0 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 को आवादी के बजाए बिलानाम दर्ज करने व 1178/6809 रकबा 0.81 हे0 को बिलानाम से वादी के नाम के नाम दर्ज रेकार्ड होना पाया जाती हैं। ग्राम कोशीथल के हाल रकवा नं0 1178/6809 रकवा 0.81 हे0 बिलानाम का 1178/6810 रकवा 0.81 गे0मु0 आवादी दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान की किस्म भूमि भू–प्रवंध विभाग ने साविक राजस्व रेकार्ड से दर्ज नहीं की जाकर एक दूसरे के विपरीत दर्ज कर दी है। हाल खसरा नं0 1178/6809 रकबा 0.81 हे0 के साबिक खसरा नं0 737/1/1ख रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा की किस्म भूमि गेमु आवादी एवं हाल खसरा नं0 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 के साविक खसरा नं0 737/1/1क रकबा 3 बीघा 15 विस्वा की किस्म भूमि बीड़ बिलानाम दर्ज रेकार्ड था। साविक राजस्व रेकार्ड अनुसार हाल खसरा नं0 1178/6809 रकबा 0.81 की किस्म भूमि गे0मु0 आवादी एवं हाल खसरा नं0 1178/6810 रकबा 0.81 की किस्म भूमि बीड़ बिलानाम का दर्ज किया जाना सही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी तनकी नम्बर 1 को अपने पक्ष में सिद्ध कराने में सफल रहा है अतः तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

अनुतोष :– चुंकि तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है अतः वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 व 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतएवं :

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र –आर0टी0ए0 धारा 88 व 136 एलआरएक्ट

–:आदेश:–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 व 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोशीथल की दौराने बंदोबस्त वादी की साविक आराजी संख्या 737/1/1ख रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमी का नक्शा नवीन को गलत फिट करते हुए परिवर्तित कर दिया जिससे नवीन आ0सं0 1178/6810 रकबा 0.81 हे0 को आबादी के बजाए बिलानाम दर्ज करने व 1178/6809 रकवा 0.81 हे0 को बिलानाम से वादी के नाम गे0मु0 आबादी दर्ज कर गत नक्शे अनुसार हाल नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। तहसीलदार सहाड़ा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर, पदेन
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.16 17:54:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: